



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233433
CG-DL-E-15022022-233433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 642]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 661 (अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु राज्य में बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, विजयवाडा — धर्मपुरी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, सिवाडी ग्राम, पागलाहल्ली पोस्ट, नल्लमपल्ली तालुक, धर्मपुरी जिला — 636807 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला: कृष्णागिरी

राज्य: तमिलनाडु

क्रम सं.	गोंव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
				हैक्टर	एयर	व.मी.
1	कृष्णागिरी टौन वार्ड -डी - ब्लॉक नंबर-21	कृष्णागिरी	2/7	0	03	60
2			8	0	01	50
3			20	0	09	00
4	गुरुविनयनापल्ली	बरगुर	29	0	04	60
5			32	0	01	40
6			73	0	01	00
7			76	0	04	00
8			144	0	02	60
9			198	0	02	40
10			207	0	03	60
11	चिन्नामट्टारपल्ली	बरगुर	108	0	08	00
12			291	0	02	40

[फा. सं. आर-11025 (15)/4/2018—ओआर- I/ई-25410]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 661 (E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Krishnagiri District in Tamilnadu State, which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Vijayawada - Dharmapuri Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprise, Sivadi Village, Pagalahalli Post, Nallampalli Taluk, Dharmapuri District - 636807.

SCHEDULE**District : Krishnagiri****State : Tamilnadu**

Sl. No.	Name of Village	Name of Taluk	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.m
1	Krishnagiri Town Ward -D - Block No -21	Krishnagiri	2/7	0	03	60
2			8	0	01	50
3			20	0	09	00
4	Guruvinayanapalli	Bargur	29	0	04	60
5			32	0	01	40
6			73	0	01	00
7			76	0	04	00
8			144	0	02	60
9			198	0	02	40
10			207	0	03	60
11	Chinnamattarapalli	Bargur	108	0	08	00
12			291	0	02	40

[F. No. R-11025(15)/4/2018-OR-I/E-25410]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.